


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>खेमसिंह बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ.अपील सं0 233 / 2023 ()</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>09.11.23</p>	<p>अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, निवासी ग्राम /पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर (ग्रामीण) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 24.07.2023. में उसके द्वारा (1) कार्यालय अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर को वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 में आंबटित सरकारी गाडी के नम्बर सहित प्रमाणित सूचि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1119 दिनांक 18.10.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, जिला पूल कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1062 दिनांक 05.09.2023 द्वारा कुल 03 पृष्ठ की सूचना प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) </p>	